भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *189

जिसका उत्तर सोमवार 08 मार्च, 2021

17 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया जाना है

विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र का विनिवेश

*189. **श्रीमती गोड्डेती माधवी:**

श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आँध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के विनिवेश को सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कर्मचारियों की नौकरियों सहित इसमें शामिल हितधारकों पर इस कदम से पड़ने वाले विपरीत प्रभावों पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त परियोजना के उचित पुनरुद्धार हेतु आँध्र प्रदेश को सहायता प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्तमंत्री

(श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ड.): एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया है।

*****

"विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र" के विनिवेश" के बारे में सोमवार, दिनांक 08 मार्च, 2021 को पुछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.*189 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित वक्तव्य।

(क) से (ख) आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 27.01.2021 को आयोजित अपनी बैठक में राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आरआईएनएल) (जिसे विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र या विज़ाग संयंत्र के नाम से भी जाना जाता है) में भारत सरकार की 100% शेयरधारिता के साथ-साथ उसकी सहायक कंपनियों/सयुक्त उद्यमों में आरआईएनएल की हिस्सेदारी का निजीकरण के जरिए रणनीतिक विनिवेश करने के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है।

(ग) भारत सरकार की इक्विटी के रणनीतिक विनिवेश के परिणामस्वरुप इष्टतम उपयोग हेतु पूंजी का समावेश, क्षमता विस्तार, प्रोद्योगिकी का समावेश और बेहतर प्रबंधन परिपाटियों का समावेश होगा। इसके परिणामस्वरुप उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार अवसरों में बढ़ोतरी होगी।

रणनीतिक बिक्री के निबन्धन और शर्तें तय करते समय मौजूदा कर्मचारियों और अन्य हितधारकों की न्यायसंगत समस्याओं का शेयर खरीद करार (एसपीए) में किए गए उपयुक्त प्रावधानों के माध्यम से समुचित निवारण किया जाता है।

(घ) से (ड.) आरआईएनएल में राज्य सरकार की कोई इक्विटी नहीं है। तथापि, विशिष्ट मामलों में, जब कभी आवश्यक हो, राज्य सरकार से परामर्श किया जाता है और जिन मामलों में उनका दखल अपेक्षित हो उनके सहयोग का अनुरोध भी किया जाता है।

*****